9/12/14	[illegible] सहायक कलक्टर [illegible] जिला [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 111 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 213
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 09.12.2024

1. हुकम सिंह पुत्र रामकरन जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई।
2. चन्द्रभान पुत्र रामकरन जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई।
3. उदल सिंह पुत्र रामकरन जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई।
4. हरवीर (फौत) पुत्र रामकरन जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई।

4/1. भूदेवी बेवा हरवीर जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई।

4/2. धर्मवीर पुत्र हरवीर जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई।

4/3. धर्मपाल पुत्र हरवीर जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई।

4/4. प्रकाश पुत्र हरवीर जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई।

4/5. कुंवरसिंह पुत्र हरवीर जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई।

प्रार्थीगण

बनाम

1. विपती पुत्र पोपसिंह जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. पोपसिंह (फौत)

2/1. लक्ष्मण सिंह पुत्र पोपसिंह जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।

2/2. पूरन सिंह पुत्र पोपसिंह जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।

2/3. प्रकाश चंद पुत्र पोपसिंह जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।

3. अनीता पत्नी भावसिंह जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. नीरज पत्नी शिवसिंह जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।

9/12/24

5. रजनी पत्नी मोरध्वज जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई।
7. सब रजिस्ट्रार नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री भरत चौधरी एड.(अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 30, 38, 567, 592, कुल किता 4 कुल रकवा 1.91 है0 एवं ख.न. 112, 145, 22, 31, 41, 42, 450, 542, 543, 579, 597, 598, 68, 69, 866, 867, 868, किता 17 कुल रकवा 5.23 वाके ग्राम टोहिला तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कि पैत्रिक सम्पति है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 व 4/2 लगायत 4/5 के बाबा व प्रार्थी स. 4/1 के ददिया ससुर मटरे की खातेदारी काश्तकारी कि पैत्रिक सम्पति की आराजीयात है। जिसका सजरा पत्रावली पर अंकित है।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 व 4/2 लगायत 4/5 के बाबा व प्रार्थी स. 4/1 के ददिया ससुर मटरे की खातेदारी काश्तकारी कि पैत्रिक सम्पति की आराजीयात है। अप्रार्थी स. 1 प्रार्थीगण के ताऊ भंवरसिंह का पुत्र है। जो कि प्रार्थीगण का चचेरा भाई हैं। एवं अप्रार्थी स. 2/1 लगायत 2/3 भी प्रार्थीगण के भतीजे व चचेरेभाई है। अप्रार्थीगण स. 3 लगायत 5 अप्रार्थी स. 1 की पुत्रवधू है। उक्त आराजीयात मटरे की पैतृक आराजी है। मटरे के चार पुत्र थे, भिक्की जो बेऔलाद फौत हो गए, निहाल जो बेऔलाद फौत हो गए। भंवरसिंह , रामकरण जिनके प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वारिसान हैं। मटरे का देहान्त संवत 2010 में हो चुका है। तथा मटरे के मरने के बाद उपरोक्त आराजी मुताबिक सजरा मटरे के चारों पुत्र भिक्की, भंवरसिंह, रामकरण व निहाल के नाम वाहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्से की विरासत इन्द्राज दर्ज किए गए। मटरे के दो पुत्र भिक्की व निहाल बेऔलाद फौत हो चुके हैं इस प्रकार मटरे के दो पुत्र भंवरसिंह जिनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2/1 लगायत 2/3 है। एवं रामकरण जिनके वारिसान हम प्रार्थीगण हैं इस प्रकार उक्त आराजीयात भिक्की के फौत होने के बाद सैटलमेंट संवत 2028 के पूर्व तक के प्रार्थी के पिता रामकरण व

9/12/24

अप्रार्थीगण के बाबा भंवरसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भंवरसिंह व मृतक निहाल सिंह के नाम वाहिस्सा बराबर 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के इन्द्राज दर्ज सही थे। लेकिन सैटलमेंट संवत 2028 में सैटलमेंट कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के सहवन से प्रार्थीगण के पिता व बाबा रामकरण को छोडकर अप्रार्थीगण के पिता व बाबा भंवरसिंह व मृतक निहालसिंह के नाम गलत इन्द्राजात वाहिस्सा बराबर 1/2 के गलत इन्द्राज दर्ज किए गए जबकि सैटलमेंट अधिकारियों को कानूनन इन्द्राजात काटने का, दुरुस्त करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजीयात पर गलत इन्द्राजात चले आ रहे हैं इस दौरान निहाल सिंह की मृत्यु हो गई तथा मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात विरासतन दाखिला खारिज अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1/2 लगायत 3 के पिता पोपसिंह के नाम इंतकाल संख्या 16 दर्ज कर दी गई तथा भंवरसिंह के मरने के बाद उसका विरासत दाखिला खारिज भी पोपसिंह व विपती के नाम गलत दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार गलत इन्द्राजात के आधार पर लगातार अप्रार्थी संख्या 1 विपती व अप्रार्थीगण संख्या 2/1 लगायत 2/3 के पिता पोपसिंह के नाम गलत इन्द्राजात चलते रहे। संवत 2071 से 74 में पोपसिंह की मृत्यु के बाद इंतकाल संख्या 276 से गलत इन्द्राजात दर्ज हो गए। इस प्रकार उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण के नाम गलत इन्द्राजात चले आ रहे हैं जबकि मौके पर प्रार्थीगण अपने पिता व बाबा रामकरण के 1/2 हिस्सा पर वाहिस्सा बराबर काश्तकार रहे हैं जिसका दुरूर्पयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के गलत इन्द्राजात के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के गलत तहरीर व तस्दीक करा दिया है। उक्त दानपत्र तथाकथित व दिखावटी है जो प्रार्थीगण के हिस्से तक शून्य है तथा वातिल व बेअसर है व अप्रभावी है। जिसके आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 के नाम गलत इन्द्राजात हाल रिकॉर्ड में दर्ज है।उक्त गलत इन्द्राजात से प्रार्थीगण को सख्त तलफी है इसलिए अप्रार्थीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन कराकर अपने आप को अपने पिता व बाबा रामकरण के 1/2 हिस्से में वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा पाने का अधिकारी है।

5. यह है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को दिनांक 10.07.24 को धमकी दी गई कि गलत इन्द्राजात के आधार आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहनवयमुन्तकिल कर देंगे तथा कब्जेकाश्त से बेदखल कर देंगे। अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजीयात की राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे व रहनवयमुन्तकिल न करें तथा नीवं खोदकर पुख्ता निर्माण न करें।

9/12/24

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री भरत चौधरी एडवोकेट उपस्थित हुए तथा शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 स्वीकार है, लेकिन सफलता की कोई उम्मीद नहीं है।
2. यह कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम टोहिला स्थित है जो रिकॉर्ड से संबंधित है।
3. यह कि विवादित आराजी हम अप्रार्थीगण के पिता भंवरसिंह एवं निहाल पुत्र मटरे खातेदार काश्तकार थे। विवादित आराजी पैतृक नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे उक्त आराजी पैतृक साबित हो। तथा सजरा भी गलत पेश किया है।
4. यह कि विवादित आराजी पैतृक नहीं है बल्कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के फोर्स में आने से पूर्व ही निहाल व अन्य काश्तकार हैसियत खातेदार काबिजकाश्त रहे हैं जिन्हें मुताबिक कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे जिन्हें अपने हिस्से की आराजी को हस्तांतरण आदि करने के कानूनी अधिकारी हासिल थे। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भिक्की पुत्र मटरे के बेऔलाद फौत होने के पश्चात मटरे के शेष तीनों पुत्र भंवरसिंह, रामकरण व निहाल को द्वितीय श्रेणी के वारिस होने के कारण भिक्की के हिस्से की आराजी विरासतन प्राप्त हुई है इस प्रकार विवादित आराजी के गत खसरा नंबरान पर मटरे के तीनों पुत्र भंवरसिंह, रामकरण व निहाल 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हुए हैं। सैटलमेंट विभाग द्वारा कोई इन्द्राजात गलत दर्ज नहीं किए गए हैं जबकि इनके इन्द्राजात सही किए गए हैं तथा यह भी उल्लेखनीय है कि निहाल पुत्र मटरे द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 04.10.1968 को उपपंजीयक नदबई के समक्ष जरिए रजिस्टर्ड बयनामा क्रमांक 424 दिनांक 04.10.68 से विक्रय कर अप्रार्थी संख्या 1 विपती व पोपसिंह को विक्रय कर अपना समस्त 1/3 हिस्सा पर कब्जा सुपुर्द कर दिया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 विपती व 2 पोपसिंह व रोज बयनामा से ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण के पिता भंवरसिंह पोपसिंह की मृत्यु के उपरान्त जो इन्द्राजात विरासतन दर्ज हुए हैं जो कानूनन दर्ज किए गए हैं तथा जरिए बयनामा दिनांक 04.10.68 के आधार पर निहाल के हिस्से पर भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से पर मुताबिक इन्द्राजात दर्ज हो रहे हैं जिसे निरस्त करा पाने का अधिकार प्रार्थी को कोई अधिकार हासिल नहीं हैं एवं न ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किए गए दानपत्र को निरस्त करा पाने का अधिकार प्रार्थीगण को हासिल नहीं है।

9/12/24

दानपत्र रजिस्टर्ड दस्तावेजात को केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही शून्य घोषित किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दानपत्र को शून्य घोषित कराने का अधिकार हासिल नहीं हैं। न ही किसी प्रकार की प्रार्थीगण को धमकी दी गई।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 075–78 वाके ग्राम टोहिला, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2007 वाके गग्रम टोहिला, नकल नामा0 पंजिका वाके ग्राम टोहिला किता 2, नकल खतौनी जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2028 पेज 3, नकल जमाबंदी खतौनी संवत 2038–41 पेज 7, नकल खतौनी जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2028 पेज 6, नकल खतौनी संवत 2051–54, 2043–46 वाके ग्राम टोहिला, नकल जमाबंदी संवत 2067–70 वाके ग्राम टोहिला, नकल जमाबंदीसंवत 2010–13 वाके ग्राम टोहिला, नकल सजरा भूमि अधिकारियों का वंशावली वृक्ष संतान जमाबंदी संवत 2010–13, नकल जमाबंदी संवत 2014–22 किता 3, नकल जमाबंदी संवत 2014 किता 2 पेश किए गए।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल विक्रय पत्र दिनांक 04.10.1968 पेश की गई।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1. <u>पृथमदृष्टया केस</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश किया जिसमें वर्णित विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 30, 38, 567, 592, कुल किता 4 कुल रकवा 1.91 है0 एवं ख.न. 112, 145, 22, 31, 41, 42, 450, 542, 543, 579, 597, 598, 68, 69, 866, 867, 868, किता 17 कुल रकवा 5.23 वाके ग्राम टोहिला तहसील नदबई पर स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 व 4/2 लगायत 4/5 के बाबा व प्रार्थी स. 4/1 के ददिया ससुर मटरे की खातेदारी काश्तकारी कि पैत्रिक सम्पति की आराजीयात है। अप्रार्थी स. 1 प्रार्थीगण के ताऊ भंवरसिंह का पुत्र है। जो कि प्रार्थीगण का चचेरा भाई ह। एवं अप्रार्थी स. 2/1 लगायत 2/3 भी प्रार्थीगण के भतीजे व चचेरे भाई है। अप्रार्थीगण स. 3 लगायत 5 अप्रार्थी स. 1 की पुत्र वधू है। उक्त आराजीयात मटरे की पैतृक आराजी है। मटरे के चार पुत्र थे, भिक्की जो बेऔलाद फौत हो गए, निहाल जो बेऔलाद फौत हो गए। भंवरसिंह , रामकरण जिनके प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वारिसान हैं। मटरे के मरने के बाद उक्त आराजी मुताबिक सजरा मटरे के चारों पुत्र भिक्की, भंवरसिंह, रामकरण व निहाल के नाम वाहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्से की विरासत इन्द्राज दर्ज किए गए। मटरे के दो पुत्र भिक्की व निहाल बेऔलाद फौत हो चुके हैं इस प्रकार मटरे के दो पुत्र भंवरसिंह जिनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 व

9/12/24

अप्रार्थी संख्या 2/1 लगायत 2/3 है। एवं रामकरण के वारिसान प्रार्थीगण हैं इस प्रकार उक्त आराजीयात भिक्की के फौत होने के वाद सैटलमेंट संवत 2028 के पूर्व तक के प्रार्थी के पिता रामकरण व अप्रार्थीगण के बाबा भंवरसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भंवरसिंह व मृतक निहाल सिंह के नाम वाहिस्सा बराबर 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के इन्द्राज दर्ज रहे है। निहाल ने दिनांक 4.10.68 को बयनामा से सम्पूर्ण आराजी विक्रय कि गई तथा इस प्रकार विवादित आराजी इन्तकाल व रजिस्टर्ड बयनामा से अप्रार्थीगणो को जो खातेदारी प्राप्त हुई है। उसके अनुसार विवादित आराजी लम्बे समय से अप्रार्थीगणो के नाम रही है। तथा अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत बयनामा जो कि रजिस्टर्ड है उसको अनदेखा नही किया जा सकता है। एवं जो खातेदारी इन्द्राजात रजिस्टर्ड बयनामा एव इन्तकाल से हुऐ है वो सही है अथवा नही तथा रजिस्टर्ड बयनामा सही है अथवा गलत है यह तथ्य वाद पत्र में तनकीयात कायम कर दोनो पक्षकारो कि साक्ष्य लेकर मैरिट पर तय किया जावेगा। चूंकि अप्रार्थीगण लम्बे समय से खातेदार रहे है। इसलिए एक खातेदार को कानून स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो उनके खातेदारी अधिकारो का कुठारघात होगा। तथा वकील अप्रार्थी द्वारा दौरान बहस कथन किया कि अप्रार्थीगणो कि स्थगन आदेश की आड़ में बिजली कनैक्सन भी नही हो पा रहा है। जिससे उनकी सिचाई कि व्यवस्था भी नही हो रही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान स्थिति को देखते हुऐ जारीशुदा स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः प्राईमाफेसी केस प्रार्थीगण के हक में साबित है।

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> – मामला प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।
3. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है अप्रार्थीगणो के खातेदारी अधिकारो का कुठार घात होगा जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्राथीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम टोहीला तहसील नदबई पर जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 12.07.2024 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.12.24 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

9/12/24
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

सहायक कलेक्टर कार्यालय नदबई (भरतपुर) राज.
सत्यमेव जयते